(57) पृ.क्रं.-

पिछला	अगला

कार्यालय -- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष)

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक / बजट / 2012 / 5456 भोपाल, दिनांक -01-12-2

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
समस्त क्षेत्र संचालक (वन्यप्राणी)
समस्त संचालक (राष्ट्रीय उद्यान),
मध्यप्रदेश।

विषयः–वन सुरक्षा हेतु किराये पर तैनात किये गये वाहनों का उचित उपयोग करने बावत।

वर्ष 2012–13 में बजट मद मांग संख्या 10–2406 वन आयोजना (2723) – प्रशासन सुदृढ़ीकरण–0101–31 – व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां 009 उपकरणों की लीज / किराया राशि के अन्तर्गत वन सुरक्षा के लिये संवेदनशील वन क्षेत्रों में वन गस्ती हेतु क्षेत्रीय इकाईयों को वाहन चालक एवं पी ओ एल आदि का व्यय सम्मिलित करते हुये किराये पर गस्ती वाहन लगाने हेतु धन राशि आवंटित की गई है। आवंटित राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें :–

1– किराये पर लिये गये वाहनों के उपयोग के संबंध में लॉग बुक संधारित की जावे एवं वाहन प्रभारी द्वारा उपयोग किये जाने बाबत आवश्यक दिनांकित प्रविष्टि नियमित रूप से की जावे। लॉग बुक वाहन प्रभारी को उपलब्ध कराने के पूर्व प्रत्येक पृष्ठ पर अनुक्रमांक डालते हुये पहले पृष्ठ पर पृष्ठों की संख्या बाबत आवश्यक प्रमाण पत्र अंकित किया जाकर लॉग बुक जारी करने वाले अधिकारी द्वारा दिनांकित हस्ताक्षर मय पदनाम के किये जावें।

2– जिस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को वाहन किराये पर उपलब्ध कराया गया है, उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वाहन की लॉग बुक का प्रत्येक माह कम से कम एक बार परीक्षण किया जाकर तदाशय की दिनांकित प्रविष्टि पदनाम अंकित करते हुये लॉग बुक में की जावे।

3– अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी अपने प्रवास के दौरान इन वाहनों की लॉग बुक का परीक्षण किया जावे तथा आवश्यक टीप लॉग बुक में अंकित की जावे।

4– प्रत्येक तीन माह की लॉग बुक की सत्यापित छाया प्रति वन मण्डल कार्यालय में जमा कराई जावे।

5– एक लॉग बुक समाप्त होने के उपरान्त परिक्षेत्र कार्यालय में लॉग बुक जमा कराई जावे एवं नयी लॉग बुक प्राप्त की जावे।

6– संबंधित क्षेत्रीय उप वन मण्डलाधिकारी (परिक्षेत्र/चौकी वाहनों के लिये) प्रत्येक माह के अन्त में वाहन के उपयोग बाबत मूल्यांकन प्रतिवेदन वन मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करेगें जिसमें वाहन के उपयोग से वन सुरक्षा में क्या लाभ हुआ है, उसका उल्लेख किया जावे। इसके लिये आपके स्तर से एक प्रपत्र निर्धारित कर दिया जावे ।

7– वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रत्येक त्रैमास के अन्त में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को इन वाहनों के उपयोग से हो रहे लाभ के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

8— मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय / संचालक, राष्ट्रीय उद्यान एवं टाईगर रिजर्व द्वारा इसी प्रकार इन वाहनों के उपयोग का त्रैमासिक प्रतिवेदन अगामी माह के द्वितीय सप्ताह तक संरक्षण / वन्यप्राणी शाखाको भेजा जावेगा।

(टी0 आर0 शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / बजट / 2012 / 5457 भोपाल, दिनांक-01-12-12

प्रतिलिपिः—

1— प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश भोपाल
2— समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वृत्त प्रभारी), मध्यप्रदेश भोपाल
3— समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल

10696
5.12.12

4/12/12

...n Vhicle Rent